न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– राहुल जैन

वाद सं. 73/2015

उनवान

1. हनुमान सहाय पुत्र नारायण सहाय, जाति महाजन खण्डेलवाल, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमू, हाल निवासी ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. राजेन्द्र पुत्र नारायण, जाति महाजन, खण्डेलवाल, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चौमू, हाल निवासी प्लाट नम्बर 75, सूरज नगर, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. गोपाल सैनी पुत्र भगवान सहाय सैनी, जाति माली, निवासी तोवडों की ढाणी, करवा चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर।
2. गौरव गुप्ता पुत्र रमेश चन्द गुप्ता, जाति महाजन, निवासी 704 एक्सप्रेस ग्रीन अपार्टमेन्ट, सेक्टर 44, नोएडा, उत्तरप्रदेश।
3. गीता देवी पत्नि रामेश्वर प्रसाद
4. जितेन्द्र झालानी पुत्र रामेश्वर प्रसाद
5. अरविन्द झालानी पुत्र रामेश्वर प्रसाद
6. बीना पुत्री रामेश्वर प्रसाद
   समस्त जाति महाजन, निवासी सरस्वती विद्या मन्दिर स्कूल के पास, इन्दिरा कॉलोनी, कस्बा चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय, चौमू जिला जयपुर।
8. लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांकः– 07.12.2021

पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान कैम्प कोर्ट मोरीजा में पेश हुई। इस न्यायालय का आदेश दिनांक 07.08.2019 को उक्त वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार चौमू को वाद में विभाजन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था। डिक्री की पालना में तहसीलदार चौमू से दिनांक 07.12.2021 को कुरेजात प्राप्त हो चुके है। वादी स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता उपस्थित है। प्रतिवादी बावजूद सूचना अनुउपस्थित है। अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार तहसील चौमू से प्राप्त कुरेजात के अनुसार वादी वाद अन्तिम डिक्री करवाये जाने के लिए निवेदन किया। अतः वादी का वाद तहसीलदार चौमू से प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट दिनाक 07.12.2021 के अनुसार स्वीकार किया जाकर पक्षकारों के मध्य अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है कि विवादित भूमि के आ0ख0न0 2494 रकबा 0.33 हैक्टेयर कुल किता 01 का कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर वाके ग्राम मोरीजा, तहसील चौमूं जिला जयपुर में स्थित है जिसका मुताबिक कुरेजात तहसील[illegible] द्वारा खाता विभाजन खातेदारों के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 16:01:08 IST
Reason: SelfAttested

1. राजेन्द्र पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 हनुमान पुत्र [illegible] हिस्सा 1/2 जाति महाजन सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 2494/1 र[illegible] 0.0375 हैक्टर किस्म ब[illegible] कुल किता 01 का कुल रकबा 0.0375 हैक्टर, जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

अन्तिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलारा राहुल जैन आईएएस

1. हनुमान सहाय पुत्र नारायण सहाय, जाति महाजन खण्डेलवाल, निवासी ग्राम गोरीजा, तहसील चोमू, हाल निवासी ग्राम नेवटा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. राजेन्द्र पुत्र नारायण, जाति महाजन, खण्डेलवाल, निवासी ग्राम मोरीजा, तहसील चोमू, हाल निवासी प्लाट नम्बर 75, सूरज नगर, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. गोपाल सैनी पुत्र भगवान सहाय सैनी, जाति माली, निवासी तोबडों की ढाणी, करवा चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर।
2. गौरव गुप्ता पुत्र रमेश चन्द गुप्ता, जाति महाजन, निवासी 704 एक्सप्रेस ग्रीन अपार्टमेन्ट, सेक्टर 44, नोएडा, उत्तरप्रदेश।
3. गीता देवी पत्नि रामेश्वर प्रसाद
4. जितेन्द्र झालानी पुत्र रामेश्वर प्रसाद
5. अरविन्द झालानी पुत्र रामेश्वर प्रसाद
6. बीना पुत्री रामेश्वर प्रसाद

   समस्त जाति महाजन, निवासी सरस्वती विद्या मन्दिर स्कूल के पास, इन्दिरा कॉलोनी, कस्बा चौमू, तहसील चौमू जिला जयपुर।
7. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय, चौमू जिला जयपुर।
8. लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 73/2015

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू राहुल जैन आईएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

1. राजेन्द्र पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 हनुमान पुत्र नारायण हिस्सा 1/2 जाति महाजन सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 2494/1 रकबा 0.0375 हैक्टर किस्म बारानी 1 कुल किता 01 का कुल रकबा 0.0375 हैक्टर, जो संलग्न नजरी नक्शे में गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
2. गोपाल पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 24/105 जाति माली निवासी तोबडों की ढाणी कस्बा चौमूं गौरव पुत्र रमेशचन्द हिस्सा 66/105 जाति महाजन निवासी 704 एक्सप्रेस ग्रीन अपार्टमेन्ट सेक्टर 44 नोयडा रामेश्वर पुत्र घनश्याम हिस्सा 15/105 जाति महाजन सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 2494/2 रकबा 0.2625 है0 किस्म बारानी 1 कुल किता 01 का कुल रकबा 0.2625 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।
3. गोपाल पुत्र भगवान सहाय हिस्सा 1/5 जाति माली निवासी तोबडों की ढाणी कस्बा चौमूं गौरव पुत्र रमेशचन्द हिस्सा 11/20 जाति महाजन निवासी 704 एक्सप्रेस ग्रीन अपार्टमेन्ट सेक्टर 44 नोयडा, रामेश्वर पुत्र घनश्याम हिस्सा 1/8, राजेन्द्र पुत्र नारायण हिस्सा 1/16 हनुमान पुत्र नारायण हिस्सा 1/16 जाति महाजन सा0 देह खातेदार को खसरा नम्बर 2494/3 रकबा 0.0300 है0 किस्म बारानी 1 कुल किता 01 का कुल रकबा 0.0300 हैक्ट, जो संलग्न नजरी नक्शे में गहरे हरे रंग से दर्शाया गया है, दी जाती हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 16:01:08 IST
Reason: SelfAttested

नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमूं को भेजी जावें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 07.12.2021 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा..........

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत					
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान	3		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.12.27 16:01:08 IST
Reason: SelfAttested